





# Ranchi University, Ranchi




Sl.No: PG23-2/2345905

## Admit Card

Programme : Master of Arts English Second Semester Examination 2024 to be held from 27th November 2024

College / Dept.	025 - P.P.K. College, Bundu			 AMAR KOIRI 08-07-2023
Name in English	AMAR KOIRI			
Roll No.	23MA04250002	Session: 2023-2025		
Registration No.	1921766	D.O.B. : 06/08/2001		
Father's Name	SUSHEN KOIRI	Student Type : REGULAR		
Centre of Exam	025 - P.P.K. College, Bundu			
Answer Copy IDR No.	230250410002			
Subject / Course	ENGLISH			

PAPER NUMBER	PAPER CODE	EXAM PAPER	PAPER NAME
01	0404	CCENG201	Nineteenth to Modern British Poetry
02	0405	CCENG202	British Drama (Marlowe to Dryden)
03	0406	CCENG203	British Drama (18th Century to Modern Period)
04	0407	CCENG204	British Fiction (18th and 19th Centuries)

Signature of <b>Examinee</b>	Principal/Head of <b>Department</b>	 Controller of <b>Examinations</b>
------------------------------	-------------------------------------	--

### महत्वपूर्ण निर्देश:-

#### परीक्षार्थियों के लिये नियम

- परीक्षाएँ प्रकाशित तिथि को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी। विशेष जानकारी महाविद्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
- निर्धारित समय से आधे घंटे विलम्ब से आने पर परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
- जो उत्तर पुस्तिका निरीक्षक को एक बार सौंपी जा चुकी हो, वह किसी भी हालत में परीक्षार्थी को लौटायी नहीं जायेगी
- परीक्षा कक्ष से प्रश्न-पत्र और प्रवेश-पत्र के अलावे अन्य कागजात बाहर ले जाना परीक्षार्थियों के लिए वर्जित है।
- प्रश्न-पत्र बंटने के ठीक पाँच मिनट पहले घंटी बजायी जायेगी जो इस बात की चेतावनी होगी की सभी परीक्षार्थी अपने स्थानों पर बैठ जाएँ। चेतावनी की इस घंटी के बाद परीक्षा भवन या उसके निकटवर्ती स्थानों पर कोई भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रहेगा अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाई की जा सकती है।
- परीक्षा बहिष्कार करने या सामूहिक कदाचार करने पर पुनः परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकती है।
- वीक्षक या केन्द्राधीक्षक को डरवाने या धमकाने अथवा प्रताड़ित करने पर 2 से 5 वर्षों तक विश्वविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है।
- परीक्षार्थी को परीक्षा भवन में मोबाईल लाना वर्जित है। पकड़े जाने पर मोबाईल जप्त की जायेगी।
- इस नियम में जो बातें न आ सकी हों उनके संबंध में केन्द्राधीक्षक आवश्यकतानुसार परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए यथोचित आदेश दे सकते हैं और उसकी सूचना विश्वविद्यालय को भेज दें।
- परीक्षार्थी को भाषा (Language) विषय के अलावा बाकी सभी विषयों की परीक्षा केवल हिन्दी (देवनागरी) या अंग्रेजी (रोमन) लिपि में लिखना अनिवार्य है।